प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

.वेबसाइट**ः** www.rbi.org.in/hindi Website : www.rbi.org.in ई-मेल/email : <u>helpdoc@rbi.org.in</u>

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/522



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, S.B.S. Marg, Fort, Mumbai - 400 001

फोन/Phone: 022 - 2266 0502

12 जुलाई 2022

भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालयीन पता	पंजीकरण	प्रमाणपत्र	प्रमाणपत्र
			प्रमाणपत्र सं.	जारी करने का	निरस्त
				दिनांक	करने का दिनांक
1	प्राइवेट लिमिटेड (पहले एमसीआई लीजिंग प्राइवेट	19वा मुख्य डायकानअस्पताल के निकट,राजाजीनगर प्रथम ब्लॉक,	बी-02.00156	05 अप्रैल 2017	08 जून 2022
2	विलियमसन मैगर एंड को. लिमिटेड	4, मैंगो लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700001	एन-05.05534	31 मार्च 2003	29 जून 2022
3	गैलेक्सी कैपिटल फाइनैंस लिमिटेड	19/एक्स-1, कृष्णा पुरम, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208007	12.00069	02 मार्च 1998	29 जून 2022
4	एस आर एस फ़ाइनेंस लिमिटेड	एसआरएस मल्टीप्लेक्स मेजेनाइन फ्लोर, सिटी सेंटर, सैक्टर-12, फ़रीदाबाद, हरियाणा-121007	एन-14.03202	31 दिसम्बर 2009	29 जून 2022

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक